

श्री अशोक गांगुली,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र 2 मजदाराप कैंड,  
प्रतिष्ठान बिहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संज्ञक: दिनांक: (8 जून, 1995)

विषय:- द्वापती धर्मवीरा पब्लिक स्कूल बिजनौर को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से सम्बन्ध हेतु अनुरोधित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कबले का निदेश हुआ है कि द्वापती धर्मवीरा पब्लिक स्कूल बिजनौर को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रायश्चित नहीं है ।-

- 1- विद्यालय की पंजीयता लेताओं का तन्मय तन्मय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित तुल्य से अधिक तुल्य नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केवल शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोलिन चार दि ईडिपल स्कूल सर्टीफिकेट इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था के अधिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त आताकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैरवा उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रूपन/पंजीकाओं में रखा जायेगा

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैरवा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में कौपीनका योजना समस्त कर्मचारियों हेतु लागू है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरवा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाय कि तैरवा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूर या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक नांगुली  
उप निधि ।

पत्र सं 4189111/15-7-1995 तदतिनांक  
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- अधिका निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मैसोप उप अधिका निदेशक, मुरादाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर ।
- 4- निरीक्षक, जॉनल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, दशावती धर्मवीरा पब्लिक स्कूल बिजनौर ।

जाता है,

*(Signature)*

अशोक नांगुली  
उप निधि ।